FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या ......61....../2022 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

कानाराम बनाम गोरूराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.22	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण ने पेश किया। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में बनता है। पत्रावली अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र में विचाराधीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम नंगली सलेदी सिंह स्थित भूमि खाता संख्या नया 19 में दर्ज ख.न. 440 रकबा 0.0700 है. , ख.न. 441 रकबा 0.0800 है., ख.न. 442 रकबा 7.5800 है., ख.न. 445 रकबा 2.3700 है. कुल किता 4 कुल रकबा 10.1000 है. वाद में उपस्थित आराजियात की मौके की स्थिति के सन्दर्भ में यथास्थिति बनाएं रखेगें। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। जिन भी स्थितियों में अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, में परिवर्तन की दिशा में आदेश वैकेट अन्यथा संशोधित कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ......14.7.22...... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	
14/07/22	वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] का रजि० डाक से [illegible] की डाक रसीदें [illegible] सं. 126/2022 में पेश कर दी। डाक रसीदों को एक माह का समय व्यतीत नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं. 24 व 25 का रजि० डाक नोटिस मूल वाद में इंकारी रिपोर्ट से प्राप्त। अप्रार्थी सं. 16,22,23 के रजि० डाक नोटिस अदम तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1,4,10 से 14,17,18	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:17 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से रहीमुद्दीन कुरैशी एड. उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 20 की ओर से श्री आलोक मान एड. उपस्थित। अप्रार्थी सं. 24 व 25 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित। P.O. साहब अन्य सुनवाई में पधारे हुये है। मिसल वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 10 से 14, 17, 18, 20, अग्रिम कार्यवाही अप्रार्थी सं. 24, 25 व बइन्तजार तलबी अप्रार्थी सं. 3, 5 से 9, 15, 19, 21, 26 से 30 व तलबी अप्रार्थी सं. 16, 22, 23 दिनांक 16/08/2022 ~~दिनांक~~ को पेश हो।

16/08/22 पक्षकारान फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर हस्तगत प्रा0पत्र धारा 212 RTA 1955 को विड्रा करने का प्रा0पत्र पेश किया। प्रा0पत्र पर स्वयं प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार कर हस्तगत प्रा0पत्र धारा 212 RTA 1955 को विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम [illegible] सं. 126/2022 [illegible] दाखिल दफ्तर रहे।

कानाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी